श्री यशपाल सिंह : अगर मिनिस्टर साहब यह विश्वास दिला दें कि वाक़ई इस बात पर गौर किया जायेगा तो मैं इसको विदड्रा करता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: Has he the leave of the House to withdraw his Bill?

Some Hon. Members: Yes.

Shri Raghunath Singh: No, Sir. It should be rejected by the House.

श्री यशपाल सिंह : जब मैं डिवाइड करने के लिए मूव ही नहीं कर रहा हूं और विदड्रा कर रहा हूं तो इस पर डिवाइड कैसे किया जा सकता है ।

Mr. Deputy-Speaker: When the motion is objected to, I have to put it to the House. The question is. . .

Shri Raghunath Singh: Sir, I withdraw my observation.

Mr. Deputy-Speaker: You should have taken a definite stand earlier.

Shri Hathi: He thought I had given an assurance. I had not given any assurance.

Mr. Deputy-Speaker: Has he the leave of the House to withdraw his Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy-Speaker: Shri C. K. Bhattacharyya.

Shri Sivamurthi Swami (Koppal): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I seek your permission to introduce my Bill.

Mr. Deputy-Speaker: Not at this stage.

Shri Sivamurthi Swami: Sir, I make a request. With your permission, I wish to introduce my Bill.

Mr. Deputy-Speaker: You should be present when the Bill is taken up. All right, let him introduce the Bill.

15.22 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of articles 105 *and* 194*)*

Shri Sivamurthi Swami (Koppal): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That the leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

Shri Sivamurthi Swami: I introduce the Bill.

15.25 hrs.

YOUNG PERSONS (HARMFUL PUBLICATIONS) AMENDMENT BILL

(Amendment of section 2*)* by Shri C. K. Bhattacharyya.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Young Persons (Harmful Publications) Act, 1956 be taken into consideration."

Section 2 of the Act contains the definition clause which runs as follows:

> "2. In this Act,—
>
> (a) "harmful publication" means any book, magazine, pamphlet leaflet, newspaper or other like publication which consists of stories told with the aid of pictures or without the aid of pictures or wholly in pictures, being stories portraying wholly or mainly—
>
> (i) the commission of offences; or

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 19-3-65.

[Shri C. K. Bhattacharyya]

(ii) acts of violence or cruelty; or

(iii) incidents of a repulsive or horrible nature;

in such a way that the publication as a whole would tend to corrupt a young person into whose hands it might fall, whether by inciting or encouraging him to commit offences or acts of violence or cruelty or in any other manner whatsoever;"

That is the original section of the Act which my Bill seeks to amend. The amendment is nothing more than the elaboration of the section by bringing in something more within the scope of the Bill. The amendment that I suggest is:

15.27 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

"(a) "harmful publication" means any book, magazine, pamphlet, leaflet, newspaper or other like publication which consists of articles, poems, questions and answers (by whatsoever name they may be called) either illustrated wholly or in part or not containing any illustration, or stories told with the aid of pictures or without the aid of pictures or wholly in pictures, being articles, poems, questions and answers or stories, as the case may be, describing or portraying, wholly or mainly—

(i) the commission of offences or

(ii) acts of violence or cruelty, or

(iii) incidents of an obscene, repulsive or horrible nature; or

(iv) any matter relating to the private lives of cinema stars; or

(v) any matter prejudicial to any linguistic minority;

in such a way that the publication as a whole tend to corrupt a young person into whose hands it might fall, whether by inciting or encouraging him to commit offences or acts of violence or cruelty or depravity or immorality or in any other manner whatsoever;"

Putting these two clauses together, it would be seen that only three changes are suggested. The original section refers only stories. I have added articles poems, questions and answers (by whatsoever name they may be called), either illustrated wholly or in part or not containing any illustration. That is my first change.

The second change is about the character of the material. The original provision covered only items (i) to (iii) namely the commission of offences, and acts of violence or cruelty or incidents of a repulsive or horrible nature. I have added here incidents of an obscene nature as well. I have added the word 'obscene' also.

As a consequence of this change, I have tried to make a third change, and that is in the last paragraph of this section. The original section only wanted to prevent the commission of offences or acts of violence or cruelty. I have added the words 'or depravity or immorality'. These are the three important additions to the definition clause of the Act which my Bill seeks to amend.

Now, why have I suggested these changes? When the original Act was passed in 1956, it was intended to check the introduction in this country of what are known as horror comics from European and American countries. This literature was corrupting the youth and creating problems of juvenile delinquency in those countries. Our Government thought that this problem should not be allowed to rise in our country, and in order to nip it in the bud this Act was passed. Of course, the Sea Cus-

toms Act was there, and the Sea Customs Act was used for checking the incoming of these objectionable and obnoxious literature, but it was found that the Sea Customs Act was not enough for that purpose. So, the then Home Minister Shri G. B. Pant had brought forward the original Bill and had it passed. At that time, as Shri G. B. Pant had said that indigenous production had not yet assumed such proportions that they required to be considered, and, therefore, the only object of the Bill which was passed at that time was to check the incoming of foreign literature. This was what the Home Minister said at that time:

> "We have luckily not much of such literature produced in our own country yet. We are taking the measure betimes so that the tendency which seems to be growing may be nipped in the bud just now.".

That was the object of the original measure.

In the other House, the Minister of State for Home Affairs, Shri Datar had made the following observations:

> "The import into India of such foreign comics has been banned, but we have to deal with another and perhaps a greater aspect of the evil namely that if foreign economics were prevented from coming to India or were banned, there were agencies unfortunately which were interested in producing such comics and circulating them among the young minds here."

That was the statement made by the Minister of State in the Ministry of Home Affairs at that time.

So, at that time, the problem was the shutting out of material coming from foreign places, and the problem of tackling materials produced in the counctry itself had not become so acute. That I feel now is that this problem is growing acute and it requires to be tackled before it is too late. That is the object with which I have introduced this Bill. And the tendency to produce such literature whihc Pandit Pant had found at that time only to be growing or budding has now grown and is expressing itself through diverse channels which require to be brought under some control of the law, unless it be that we are prepared to allow this literature to corrupt the young persons of our country. That is why I have tried to elaborate the definition, as I have stated already.

If the original Act, that is, the young Persons (Harmful Publications) Act passed in 1956 is to serve its purpose now, the definition has got to be elaborated. That is my submission to this House. I have stated the need for such elaboration in the following words:

> "The so-called cinema magazines exert a great deal of bad influence on the immature minds of young persons and tend to correct morals. A check on such publications is very essential. Hence this Bill."

Dr. M. S. Aney (Nagpur): I would like my hon. friend to throw some light on the following item namely:

> "any matter prejudicial to any linguistic minority."

Shri C. K. Bhattacharyya: I am obliged to my hon. friend Dr. M. S. Aney. I shall be coming to that.

If I had time, I would have produced illustrations from the cinema magazines themselves as to how they write and what they write what they represent, what pictures they publish, what details of the lives of cinema stars they give and so on....

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): Dr. M. S. Aney is talking of item (v) which reads:

> "any matter prejudicial to any linguistic minority."

He wants to know the purpose of that.

Shri C. K. Bhattacharyya: I have followed Dr. M. S. Aney and also the hon. Minister of State. I know that this particular item requires some explanation because that does not appear to fit in with the present Bill. But I shall come to that a little later.

The details of the private lives of cinema stars which these cinema magazines discuss produce a very obnoxious influence on the minds and morals of the young people. And I have seen that some of these magazines are getting currency among young people who read them with great aviditly. This requires to be checked.

The general object of the Act which was dealt with by the Home Minister and the Minister of State in the Ministry of Home Affairs at the time of its passage need not be discussed now. I shall only mention some other points.

When I first introduced this Bill two years back, it was done with the very limited purpose which I have already stated. But things have taken place in the intervening period which have added to this Bill a greater significance and brought before the Bill a still wider horizon. The Bill should not be considered merely in relation to objectionable publications but in relation to contemporary social problems, problems of youthful indiscipline, problems of student indiscipline and so on with which our Education Departments and our universities are very much concerned now and for the solution of which they are exerting themselves, but which solution has not been found as yet.

When I am referring to this, I think I should refer also to the letter I have received from the Maharashtra State Women's Council. This Council has favoured me with its opinion which reads thus:

> "We are very happy to state that the Council supports the provisions of your Bill (No. 2 of 1963). There is every reason to include in the definition of 'harmful publications' the so-called cinema magazines also.".

So, I have received the support from the Maharashtra ladies first and foremost.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): The All India Women's Council also has supported.

Shri C. K. Bhattacharyya: The Maharashtra ladies are very progressive ladies all the time, and therefore, their support emboldens me and gives me confidence that I have done a very timely act by bringing forward this Bill.

At present, the problem of youthful indiscipline has assumed great proportions. The way we try to tackle the problem makes me feel that while we are cutting at the root of the tree and pouring water at the top. At a very susceptible age when the consciousness of a young man is just growing, we provide him with all the literature, all the environment in which he will automatically, of himself, tend to go beyond the limits or proportion. At an age when he requires control, when he requires restraint and when he requires to be protected even against himself, at that age, we provide him with all the food required for a mature mind, food that provokes an immature sex consciousness in young men. This is bound to help lead him astray this is bound to lead him beyond the rules of society. This is what requires attention, but this social problem has not occupied so much of our attention as other problems to which we attend. We are preoccupied with political problems; we try to prevent young men and young students from getting into politics. That we do, but this environmental problem which has become a very great problem for them, has not received so much of our attention.

I see in my own city of Calcutta within a length, of, I believe, one-fourth, of a mile, about 20 theatres and

cinemas. At present, it is difficult to get out in the street; everywhere there are queues. When Shri Diwaker was Minister of Information and Broadcasting and was in Calcutta, I suggested to him that the name of the road Chowringhee known as threatre Road should be changed and the area to which I am referring, where within one-fourth of a mile, we have about 20 cinemas and threatres should be named Theatre Road. The pictures and advertisements, in the form in which they appear, are also objectionable. I tried to bring it to the notice of Dr. Keskar when he was Minister. He said, 'this is not our problem it is a problem for the State Ministers to tackle'. When I approached the State Ministers, they said, 'No, it is for the Centre. The Board of Censors should take it up'.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : सभापति महोदय, हाउस में कोरम नहीं है।

Mr. Chairman: The bell is being rung—Now there is quorum.

Now there is quorum. The hon. Member may continue.

Shri C. K. Bhattacharyya: As I have stated, this Bill, though brought forward for a limited purpose, should be considered in a larger context, and considering it from the larger context I hope it will be found possible for the Government to accept it or accept the proposal made in the Bill and bring forward their own Bill for modifying and extending the definition clause of the main Act.

In Clause 5 appear the words "any matter prejudicial to any linguistic minority". These appear to relate to the language question and should have, therefore, been brought in a different context. It might be surprising that I have brought it here. I have done so because when I read some of the cinema magazines I find that there is a tendency in them to decry the whole lot of cinemas produced in a particular language. One type of magazines will condemn the whole of cinemas brought out in one language, while another type of magazine will condemn the whole lot of cinemas brought brought out in another language. This may lead to some form of linguistic contraversy sometimes. That is my apprehension. That is why I have put it here, though now I feel that it should have been put in a more clarified form.

In any case, the suggestions are there, and I hope the House will consider the Bill and Government will give it their most serious consideration.

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill to amend the Young Persons (Harmful Publications) Act, 1956, be taken into consideration."

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : श्री भट्टाचार्य ने जो विधेयक उपस्थित किया है, मैं समझता हूं इसका सभी सदस्य स्वागत करेंगे। हमारे पीनल कोड में एक धारा 292 ऐसी है कि जिसके द्वारा कुछ एकशन लिया जा सकता है। किन्तु जब इसको अपर्याप्त माना गया तब 1956 में यह विधेयक लाया गया और यह विधेयक पास हुआ।

इस विधेयक के पास होने के बावजूद आज अपराधों में कमी नहीं हो रही है बल्कि जो अश्लील साहित्य है, उसका प्रचार पहले की अपेक्षा आज बहुत अधिक हो गया है। भट्टाचार्य जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि क्वेश्चन आंसर के रूप में आजकल बहुत से मेगेजीन निकलते हैं। मैं भी एक मैगेजीन का नाम लेना चाहता हूं। वह "आबजर्वर" है। अगर उसको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आंसर के रूप में चार चार और तीन तीन पेज उसमें लिखे रहते हैं। उनको कहने में भी शर्म मालूम पड़ती है। लज्जा की बात मालूम पड़ती है। सैक्स की अनेक प्रकार की खुराफातों से वह भरा रहता है। नौजवान बालक के सामने चाहे वह चीज अच्छी हो, तस्वीर सुन्दर हो, जब जाती है तो उसकी भावनायें दूषित हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं।

[श्री रघुनाथ सिंह]

योग वाशिष्ठ में एक उपाख्यान आता है। इन्द्र ने जब देखा कि एक साधू बहुत अच्छी पतस्या कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि इस साधू की तपस्या को नष्ट कैसे किया जाए। इन्द्र एक तलवार लेकर आए और उन्होंने वह तलवार साधू बाबा को दे दी और कहा कि हम कहीं जा रहे हैं, इस तलवार को आप अपने पास रखे रहें। साधू बाबा ने उसको रखने का जिम्मा ले लिया और कहा कि इसको मैं अपने पास रखे रहूंगा। लेकिन चूंकि यह न्यास के रूप में है, थाथी के रूप में है, इस वास्ते उन्होंने सोचा कि इसको अपने पास रखना चाहिये वह उस तलवार को लेकर घूमने लगे। एक दिन उन्होंने एक शाखा पर वह तलवार चला दी। दूसरे दिन एक पौदे पर चला दिया, तीसरे दिन उन्हें एक पक्षी पर चला दिया। होते होते साधू बाबा पूरे हत्यारे हो गए और जब इन्द्र लौट कर आये तो देखा कि जो साधू था वह एक महापशु हो गया है। इसी प्रकार से यह साहित्य है। छोटे छोटे दोष आदमी के दिमाग में आते रहते हैं और इस तरह से सात्विक से सात्विक आदमी भी नष्ट हो सकता है। मैं कहता हूं कि अगर आज हम को हिन्दुस्तान के युवकों को तैयार करना है तो युवकों को दिमागी खूराक भी हमें देनी है। उनके दिमागों पर किस चीज का अच्छा प्रभाव पड़ सकता है इस बात को दृष्टि में रख कर हमें उनको दिमागी खूराक देनी चाहियेज ताकि उनका दिमाग अच्छा हो स्वस्थ हो और सबल हो। अच्छे विचार सात्विक रूप में उन के मन में आयें। लेकिन अगर इस प्रकार का साहित्य हो जो कि अश्लील, गन्दा और समाज के परनाले के रूप में है, डर्टी वाटर है तो गंगाजल को छोड़ कर उस परनाले के पानी को पीने के लिये लोग जाते हैं। इसको देख कर के मन में एक प्रकार की महा विकलता उत्पन्न हो जाती है तथा घृणा उत्पन्न हो जाती है। इस चीज को सरकार को रोकना ही चाहिये।

देश के नौजवान हमारे बच्चे हैं, वे थोड़े दिन बाद पार्लियामेंट के सदस्य हो सकते हैं, देश की बागडोर उनके हाथ में जा सकती है। इन नौजवानों को हमें बचाना है। उनके चरित्र का हमें निर्माण करना है। चरित्र निर्माण के वास्ते यह बहुत आवश्यक है कि हम उनके वास्ते अच्छा साहित्य दें और बुरे साहित्य को रोकें। मैं जानता हूं कि सरकार इस बिल को अपोज करेगी लेकिन मैं श्री हाथी से कहना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि आज सरकार की यह ड्यूटी है, सरकार का कर्त्तव्य है कि वह देखे कि हमारे युवक चरित्रवान हों, वीर हों, धैर्यशील हों और उनको सेक्स से बाहर ले जाने की आवश्यकता न पड़े। आप जानते हैं कि हमारा शास्त्र इस मामले में क्या कहता है। उसके अनुसार जब आदमी पच्चीस वर्ष का हो जाये तो उसका विवाह हो जाना चाहिये ताकि वह चरित्रवान बने। आज हमारा चरित्र गिरता जा रहा है। अभी हाल में एक सिनेमा "संगम" आया है। हर लड़का उसी के गाने गाता हुआ दिखाई पड़ता है। बुरी बुरी बातें हर लड़का करता हुआ पाया जाता है। आखिर वह कहां से यह सब बातें सीखता है। वह सिनेमाओं से सीखता है। आठ आने या छः आने का टिकट खरीद लेता है और इन्हीं बातों की शिक्षा लेता है। सेक्स जो कि पाप है, मोह है, माया है, वह उस के हृदय को ज्यादा अपील करती है, सात्विक बात मनुष्य के दिल को देर में अपील करती है। इस लिये जो परनाला, डर्टी वाटर, साहित्य के रूप में भारतवर्ष में चल रहा है और युवकों को दूषित कर रहा है उसको अविलम्ब ठोस कदम उठा कर सरकार को बन्द करना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि आप चाहें इस विधेयक को स्वीकार करें या न करें, लेकिन इस विधेयक के पीछे जो सिद्धान्त हैं, इस

विधेयक के पीछे जो आत्मा है, वह शुद्ध है और उस आत्मा का आप को स्वागत करना चाहिये ।

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है उसके सन्दर्भ में यह विचार करना चाहिये कि इस कानून के सन् 1956 से लागू होने के बाद उसका कहां तक उपयोग हुआ। अभी माननीय सदस्य श्री रघुनाथ सिंह ने ठीक ही कहा कि हमारे देश में ऐसी मैगजीन्स हैं, ऐसी साप्ताहिक पत्रिकायें हैं, जैसे कि "आब्जर्वर" है, जिन को देख कर हमारी समझ में नहीं आता कि वाकई यह कानून इस्तेमाल में है या नहीं । आप ब्लिट्ज मैगजीन को देखिये ब्लिट्ज का आखिरी पेज ऐसा गलत और अश्लील इशारा करता है, फिर भी उसका कुछ नहीं होता है। इसी तरह से "टि त्रिट्स" है । लेकिन दोनों आथराइज्ड रेलवे स्टाल्स में मिलते हैं । ब्लिट्ज़ पार्लियामेंट लाइब्रेरी में आता ही है। मैं होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि इतने वर्षों तक यह कानून इस्तेमाल में रहा है लेकिन यह इस तरह की मैगजीस को रोकने के लिये क्यों कारगर साबित नहीं हुआ है । मैं उनसे इसका हिसाब चाहता हूं।

मेरा अपना विचार है कि यह जो मैगजीन्स हैं, पिक्चर्स हैं, वह इतनी आवसीन नहीं हैं जतनी कि विदेशी मैगजीन्स । इसी तरह से आप पिक्चर्स की बात देखिये तो अपने देश के अन्दर जो पत्रिकायें हैं सिनेमा वगैरह की वह इतनी आवसीन नहीं हैं जितनी विदेशी मैगजीन्स हैं, टिट विट्स और दूसरी विदेशी मैगजीन्स हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि जब कि हमारी फिल्म्स और मैगजीन्स इतनी आवसीन नहीं होतीं जितनी कि विदेशी फिल्म्स और मैगजीन्स तो उनको सेंसर बोर्ड क्यों पास करता है। मेरी शिकायत सेंसर बोर्ड से इस बात की है कि वह क्यों दो माप दंड रखता है। एक तरफ तो हिन्दुस्तान की फिल्म्स और मैगजीन्स को वह आवसीन करार देता है लेकिन दूसरी तरफ जो विदेशी फिल्म्स और मैगजीन्स हैं जो कहीं ज्यादा आवसीन हैं उन्हें पास कर देता है। मैं चाहता हूं कि दो तरह का मापदंड न रक्खा जाए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं यह ख्याल मेरे विचार से गलत है कि वर्तमान समय में ही इस तरह का आवसीन लिटरेचर बढ़ रहा है । अगर देखा जाये तो जो हमारा पुराना संस्कृत साहित्य है वह कहीं ज्यादा अश्लील है। हमारे श्री भट्टाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं संस्कृत के, वे जानते हैं कि कुमारसम्भव का जो साहित्य है, मेघदूत का जो साहित्य है, वह आज का नहीं बल्कि पुराना साहित्य है । उनकी तुलना में आज कल का जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, वह उससे बहुत ज्यादा आवसीन नहीं है । जब कुमारसम्भव और मेघदूत को चलने देते हैं, उनकी भावभंगिमा हमको मंजूर है तो कोई कारण नहीं कि "आब्जर्वर" जैसी पत्रिकाओं को छोड़ कर बाकी जो सिनेमा मेगजीन्स हैं उनको आवसीन माना जाये ।

इसके बाद यह भी देखा जाये कि हमारे यहां जो प्राचीन मन्दिर हैं, जैसे कोणार्क का मन्दिर है या हरिहर क्षेत्र के मन्दिर हैं, उनकी मूर्तियों की जो भाव भंगगिायें हैं उनको हम ने कलापूर्ण मान लिया है, उन मन्दिरों को हम आवसीन नहीं माना है, तब मेरा ख्याल है कि इस तरह के मामले में हम समभाव रक्खें और उदारता से काम लें । जहां हमारे जीवन में प्रेम और स्नेह की भावना है उसी तरह से जीवन में क्रूरता और वीभत्सता का रूप भी है । इस तरह की बातों को लेकर हमें समभाव अपनाना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि जो भी कानून है वह बिल्कुल काफी है इस तरह की आवसीन चीजों को रोकने के लिये । जरूरत इस बात की है कि जो कानून है उस का जोर दार तरीके से इस्तेमाल हो । मैं होम मिनिस्टर साहब से सुनना चाहूंगा कि कितने केस पकड़े गये और उनमें यह कानून कहां तक कारगर हुआ ।

[श्री हु० च० सोय]

इन शब्दों के साथ मैं मूवर साहब से विनय करूंगा कि वे इस बिल को वापस लें।

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): Madam Chairman, I welcome the Bill of Shri Bhattacharyya, and I hope the hon. Minister here will take note of his suggestions, though he may not accept the Bill. The idea behind the Bill is very laudable. Now a days, we see, whether it is calendars or other advertisement they always display your sex, though very beautiful and worth following in many ways. But the idea behind publication is to display sex appeal. All our bookstalls, whether in the railways or elsewhere, display sexy books very prominently. I know while travelling that all our youngsters prefer such books, and other sex literature. You have probably no idea, it is being read in every house. Probably my own son reads them. We do not wish to ban the reading of these books. But such books may be read by adult children who have some knowledge. I commend to the hon. Minister that he should recommend to the Education Minister to have sex books introduced in our schools so that children may not go astray, as is being done in Scandinavaian and other European countries where children are taught in their young age about sex life.

The film is very responsible in the promotion or increase of sex appeal. Thank God our Indian pictures yet do not follow certain types. But the western motion pictures are full of sex appeal. I am very much surprised that though the western influence has politically gone from this country, the western influence on literature and films has remained. Good things have gone, but the bad things of western culture remain with us, We have not followed our neighbouring countries and their morals.

16 hrs.

I stand for moral and spiritual values and I insist that these morals be introduced in our schools and colleges. That is the only correct way for uplifting our cultural heritage and political and moral life. I support this Bill with one suggestion. In the latter part, my friend, the mover, has said, "any matter prejudicial to any linguistic minority". I think he has in mind the communal or linguistic problems. He may put in the words "balanced thinking"; whether it is nationalist or otherwise, the word 'balance' should be there. That is a very useful suggestion. We have put in the words *maryada* and *vivek* in all our literature. We are not opposed to the sex life in the country, but whatever we have to do in this country must be done in *maryada* and *vivek*.

We are playing with fire when we bring boys and girls together. We bring fire and ghee together and then we expect that it should not meet. The chemical powers in our body always change whenever the sexes get together. I, therefore, suggest that co-education must be removed. We must have separate schools and colleges for girls. There is also a move in the western countries, specially Germany in this direction and they say that co-education does more harm than good.

These are my views and I have given them from experience. I have been western life also. But I believe that ultimately it is the eastern culture, the Indian culture, which will uplift us. I thank Mr. Bhattacharyya for bringing forward this Bill and I hope the Minister will take cognizance of these suggestions.

श्री शिव नारायण (बांसी) : माननीय चेयरमैन महोदय, में इस बिल का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। में भट्टाचार्य जी को बड़ी ऊंची निगाह से देखता हूं, वह एक अच्छे विद्वान हैं और देश के अच्छे नेता हैं। उन्होंने इस बिल के रूप में एक अच्छी

देन दी है। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकार का ध्यान उन नग्न चित्रों की ओर दिलाया है जो कि हमारे देश में गलत प्रकार के अखबारों आदि में निकलते हैं। यह हमारी संस्कृति के एक दम विरुद्ध है। हमारी संस्कृति में स्प्रिएचुएलिज्म और मैटीरियलज्म दोनों का प्रचार किया गया है। हमारा जीवन चार अवस्थाओं में विभक्त किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। यह हमारे देश की परम्परा रही है और इसी पर हमारा देश चलता रहा है।

एक माननीय सदस्य : आप किस आश्रम में हैं ?

श्री शिव नारायण : मैं भट्टाचार्य जी को इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने देश का ध्यान इस चीज की ओर खींचा है। आज हम अपने देश में अंग्रेजों की दी हुई संस्कृति की नक्ल कर रहे हैं। हमारे जो देश वासी अंग्रेजी के पोषक हैं उनसे में क्षमा चाहूंगा यह कहने के लिए कि वे देश को गर्त में ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारत अपनी संस्कृति पर चले। हमारे देश में गुप्त काल में, जब भारतीय संस्कृति के अनुसार लोग जीवन व्यतीत करते थे, उस समय सुग्गे भी संस्कृत में बोलते थे। आज हिन्दी के बारे में कहा जाता है। मैं कहता हूं कि हमको संस्कृत पढ़नी चाहिए क्योंकि संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं।

मैंने दुर्गापुर में देखा कि बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने सेशन में अन्दर हिन्दी में भाषण दिया और जब वह बाहर बोले तो बंगला में बोले। दोनों स्पीचेज मेरी समझ में आयीं। तो यह तो बुद्धि और ज्ञान की बात है।

हमारे देश में जीवन को चार अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की है जो कि 25 साल तक चलती है। इस अवस्था में जो बन गया सो बन गया और जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया। मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि इस अवस्था में अगर 18, 18 घंटे काम करोगे तो जवाहर लाल और गांधी जी जैसे बन सकोगे। यह त्याग और तपस्या की अवस्था है, यह बलिदान की अवस्था है। इन 25 सालों में जो बन गया सो बन गया और जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया। इसलिए इन सालों का बड़ा महत्व हमारे यहां है।

लेकिन आज देश में सोसाइटी का क्या हाल है। आप लखनऊ और दिल्ली आदि बड़े शहरों में देखें। एक तरफ देश में भुखमरी के मारे हाहाकार मच रहा है, तो दूसरी ओर सिनेमा हाल के बाहर युवक और युवतियां लाइन लगाए टिकट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और चित्रों को झांक झांक कर देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक घंटी नहीं बज जाती, लोगों का टिकट के लिए तांता लगा रहता है। देश में लोगों की यह प्रवृति देख कर भय लगता है कि हे भगवान हमारा समाज कहां जाएगा। हमारा वायुमंडल कैसा हो रहा है।

मैं आपको एक अखबार की मिसाल देना चाहता हूं। इस अखबार ने हमारे देश की अवस्था के बारे में ऐसी नुक्ता चीनी निकाली है कि जो देश के लिए अपमान-जनक है। मेंने इसके बारे में सवाल भी किया था। अगर मुझे एक दिन के लिए भी होम मिनिस्टर का अधिकार मिल जाता तो मैं एक अखबार को एक दम बन्द कर देता। इसका नाम "आवजरवर" है। आज ऐसे गन्दे अखबारों के देश में चलने से हमारी संस्कृति को बड़ा धक्का लगता है। इनको चैक करना चाहिए। इसके क्या मानी हैं कि इनको चैक नहीं किया जाता ? ये देश में गन्दा प्रचार करते हैं। और हमको जिस भारतीय संस्कृति का गुमान है उसके विपरीत प्रचार इन में किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस क्रिटिकल समय में सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज भी दुनिया हिन्दुस्तान की तरफ देख रही है। हमारे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का एक नया रास्ता दुनिया को

[श्री शिव नारायण]

दिया था । ग्राप देखें कि उसका नतीजा है कि ग्राज भी हमारे देश में ग्रांदोलन शांतिपूर्ण होते हैं । हमको घ्यान रखना चाहिए कि ग्राज हमको दुनिया को नया प्रकाश ग्रौर मार्ग देना है ।

इंगलैंड ग्रौर ग्रमरीका की सभ्यता लोगों को केवल मैटीरियलिज्म की शिक्षा देती है, कि खूब कमाग्रो, खाग्रो ग्रौर मजा करो । लेकिन हमारी संस्कृति जहां खाने पीने ग्रौर मजा करने की बात कहती है वहां इस बात की भी शिक्षा देती है कि हमको भगवान के यहां जाने की तैयारी करनी चाहिए । हमारे यहां जीवन के चार भाग किए गए हैं, ब्रह्मचर्य ग्राश्रम में ज्ञान प्राप्त करना मुख्य काम है, गृहस्थ जीवन में धन कमाने ग्रादि को काम बताया गया है । वानप्रस्थ में ग्रादमी चलने की तैयारी करता है ग्रौर सन्यास ग्राश्रम में घर को छोड़ देता है ।

ग्रापने मुझे बोलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं ग्रापको धन्यबाद देता हूं । ग्रौर मैं भट्टाचार्य जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकार का घ्यान इस ग्रोर खींचा मैं चाहूंगा कि सरकार इस बिल को मान्यता दे ग्रौर जो गन्दे ग्रखबार देश में निकलते हैं उनको फोरन बन्द करे । ग्राज ग्रापके डी० ग्राई० ग्रार० के रहते हुए भी एसे ग्रखबार निकल रहे हैं, इससे डी० ग्राई० ग्रार० का मखौल उड़ रहा है । ग्राप क्यों नहीं एसे लोगों के खिलाफ डी० ग्राई० ग्रार० का इस्तेमाल करते ?

मैं फिर दादा का ग्राभारी हूं कि उन्होंने ऐसा बिल ला कर सदन की मर्यादा को ऊंचा किया । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

Shri K. L. More (Hatakanangle): Madam, the intention of the mover of this Bill is most laudable. The purpose is to save young persons from the corrupting influence of bad books, magazines etc. But, Madam, I doubt very much whether the present amending Bill is necessary in view of the Act that this august House has passed already, the Act of 1956. The mover of this Bill has not made it clear whether the scope of that Act has been curtailed or limited by any decision of any court. I have not come across any such limitation being put by any court of law in our country.

The mover of the Bill intends to widen the scope of the definition "harmful publication". But the definition is already so wide that it is bound to cover cinema magazines which the hon. mover has in mind. Therefore, the clarification of the definition suggested by the mover is not, I think, necessary. The present Act is so wide that it is bound to cover all publications, including cinema magazines.

Then, as we all know, legislation alone is not sufficient to curb bad tendencies among young persons, especially educated persons. I entirely agree with Shri Raghunath Singh that the duty or responsibility in this respect lies mostly with the Government. Government should see to it that educational institutions are provided with sufficient funds to take good care of the children in the schools as well as the colleges. They should be provided with sufficient finances so that they can devote more time on students so that the attention of students may not be attracted to bad things.

Perhaps, the mover of the Bill has in mind children of rich parents who can afford to spend lavishly on cinemas and in cinema magazine. In the case of children of poor parents, they do not have so much money to spend lavishly on luxuries. Children of poor parents rarely go to cinemas or purchase cinema magazines. Therefore, instead of bringing in such amendments, the best thing would be to ask the Government to establish

such educational institutions which will take charge of the responsibility of children from 5 to 15 years and see to it that their minds are not spoiled by bad influences like cinemas and bad publications. Secondly, the educational institutions should be provided with sufficient funds so that they could appoint enough qualified teachers to train them on the right lines. It is the duty of the head of the educational institution to look after the moral education of the children, besides teaching them good behaviour, discipline etc.

Though the mover has very laudable intentions, I feel the existing Act covers what he has in mind and therefore, this amendment is not really necessary. Therefore, even though I appreciate his good intentions I am not in a position to support this measure.

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदया, श्री चपलकान्त भट्टाचार्य ने हाउस के सामने जो बिल रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

इस सम्बन्ध में हम थोड़ा विचार करें तो पायेंगे कि भारत की जो सच्ची पूंजी है वह है चरित्र और इस चरित्र बल का उदाहरण हमारे स्वामी विवेकानन्द ने विदेश में जा कर दिया । वह इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें कलियुगी भीम कहा जाता था। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और जब वह विदेश गये तो वहां की नारियों की ऐसी इच्छा हुई कि हम उनसे शादी करें लेकिन उन्होंने इस बात का जबाब अपने व्यवहार से यह दिया कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं । उन्होंने विदेशों में जा कर इस बात को साबित कर दिया कि भारतीय व्यक्ति इतना पुरुषार्थी होता है इतना मजबूत होता है और इतना उसका चरित्र दृढ़ होता है कि वह इधर उधर डिगता नहीं है । लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अन्दर विदेशी सभ्यता, विदेशी पहरावा और विदेशी अश्लील चित्रों के प्रति शौक दिन रात बढ़ता जा रहा है और जिसके कि परिणामस्वरूप इस देश के नवयुवक व नवयुवतियों के चरित्र का ह्रास हो रहा है उनका नैतिक अधः पतन होता जा रहा है। विद्यार्थियों की बुरी दशा हो रही है । मैं इस विषय में बाद में निवेदन करूंगा ।

दिल्ली भारत की राजधानी होने के नाते सारे देश की निगाह इसकी ओर रहती है और पूरे देश पर उसका असर पड़ता है । लेकिन आज इस दिल्ली के अन्दर क्या हो रहा है ? हमें रात, दिन देखने को मिलता है कि समाचारपत्रों आदि में अनेकों कुत्सित तथा गन्दे लेख व कहानियां निकलती रहती हैं जिनका कि दुष्प्रभाव नागरिकों पर पड़ रहा है । यहां से एक अखबार औबजरबर निकलता है जिसमें कि अश्लील कहानियां छपती हैं । कितनी ही घटनाओं का जिनका कोई सिर व पैर नहीं होता है उसमें निकलती रहती हैं । उस अखबार में मैंने एक घटना का समाचार पढ़ा था कि एक गुरु ने अपनी शिष्या के साथ बुरा काम किया । अब जाहिर है कि इस तरह के समाचारपत्रों का बड़ा ही दुष्प्रभाव हमारे नवयुवक समाज पर पड़ता है । इस तरह के समाचारों व उनकी छापने वाले समाचारपत्रों पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । लेकिन देखा यह गया है कि जो व्यक्ति इस समाचारपत्र पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क़दम उठाता है उसके खिलाफ़ यह औवजरवर अख़बार कुछ न कुछ लिखता रहता है । हमने देखा है कि हमारी सूचना व प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने एक बुरा व अनुचित किस्सा लिखा और उन्होंने हाथ खींच लिया । इसी तरह से इस अख़बार ने श्री कृष्ण मेनन के बारे में काफ़ी कीचड़ उछाला था, दोनों के खिलाफ़ इस अख़बार ने बहुत खराब लिखा था और उसको कोई दबा नहीं सकता था । जो भी उस अख़बार को दबाना चाहता है उसके ऊपर यह अख़बार गंदे प्रकार का और अश्लील क़िस्से कहानियां लिखता है । इस समाचारपत्र को बन्द करना चाहिए ।

स्कूलों के अन्दर यह जो तंग लिबास पहनने की प्रथा चल पड़ी है यह बहुत लज्जाजनक बात

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

है । आज के नवयुवक व नवयुवतियों में तंग कपड़े पहनने का फैशन बढ़ता जा रहा है यह बहुत लज्जाजनक बात है । विशेषकर नवयुवतियों में यह चुस्त और तंग लिबास पहनने का फैशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है और हमारे देहातों की भारतीय नारियां जब उनको देखती हैं तो वह साफ़ कहती हैं कि अरे यह तो कोई वेश्या आ रही मलूम देती है । ऐसा उनका पहरावा होता है, ऐसी उनकी बालों की कटिंग होती है और ऐसा उनका रहनसहन होता है कि कोई भी ग्रामीण भारतीय नारी उन्हें देख कर कह उठती है कि यह तो वेश्याएं मालूम पड़ रही हैं क्योंकि वेश्याओं का सा उनका पहरावा है । पाकिस्तान ने इसके लिए एक कानून बना दिया कि तंग लिबास पहनना गैर क़ानूनी होगा और इसको इस तरह से उन्होंने अपने यहां बन्द किया । मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें कानून बना कर तंग लिबास धारण करना बन्द करना चाहिए । इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि स्टेशनों आदि स्थानों पर अनेकों ऐसे विदेशी समाचारपत्र व पत्रिकाएं, मैगज़ीन आदि बिकती है जिनमें कि खुले और नग्न चित्र दिये हुए होते हैं । इसी तरह से बहुत सी विदेशी अश्लील फिल्में देश में प्रदर्शित होती रहती हैं जिनका कि बहुत बुरा असर हमारे विद्यार्थियों पर पड़ता है । अभी हाल में एक फिल्म यहां पर चला था जिसका असर हमारे नवयुवक समाज पर बुरा पड़ा है । मैंने स्वयं अपने कानों से लड़कों को लड़कियों से यह कहते हुए सुना है कि "बोल राधा मेरा तेरा संगम होगा या नहीं ?" आज आम रास्तों पर इस तरह से छेड़खानियां होती रहती हैं और लड़कियों को यह गाना गाकर छेड़ा जाता है । मैंने इस सम्बन्ध में मंत्राणी महोदया को एक पत्र भी लिखा था । उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे सेंसर कर दिया है । लेकिन हालत यह है कि आज छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां यह गाना गाती फिरती हैं कि "हाय राम मुझे बुड्ढा मिल गया "। जाहिर है कि इस तरह के गानों का हमारे नवयुवक समाज पर कितना बुरा असर पड़ता है । अब अगर उनके दिमागों पर बुरा असर पड़ता है तो उसका असर और उसकी झलक उनके व्यवहार में देखने को मिलती है । अब विदेशी फिल्में जो हमारे देश में दिखाई जाती हैं उनमें औरतें सिग्रेट पीती हुई दिखाई जाती हैं । इन फिल्मों का ही यह असर पड़ा है कि हमारे लड़के और लड़कियां भी सिग्रेट पीती नज़र आती हैं । अभी हाल ही में एक सप्ताह भी नहीं हुआ जब मैं एक चित्र बनाने के कालिज को देखने गया था तो वहां मैंने स्वयं अपनी आंखों से लड़कों और लड़कियों को एक कैंटीन में इकट्ठा बैठकर सिग्रेट पीते हुए देखा था । यह विदेशी पहरावा, खानपान और वहां के अश्लील चित्र व गन्दे साहित्य का असर है । यही कारण है कि हमारे देश के नवयुवक व नवयुवतियों में चरित्र बल का ह्रास होता जा रहा है । आज उनका चरित्र गिरता चला जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह देश रसातल को प्राप्त होने वाला है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस तरह के तंग लिबास, अश्लील चित्र, गन्दी कहानियों व नग्नफोटुओं पर पाबन्दी लगानी चाहिए । आज दिल्ली में जगह जगह और कनाटप्लेस के फुटपाथ पर ऐसे नग्न चित्र, अश्लील साहित्य वाली मैगज़ीन और पुस्तकें बिकती मिलेंगी । कोकशास्त्र की किताबें मिलेंगी जिनमें कि बिल्कुल नग्न चित्र दिये हुए हैं और उसमें सारे आसन नम्बरवार बतलाये गये हैं । यह चीजें बहुत ही आपत्तिजनक हैं और समय रहते इन पर रोक लगानी चाहिए । पिछली बार गृह मंत्री जी ने ज़रूर इस तरह की गन्दी पुस्तकें जब्त की थीं परन्तु उनका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला क्योंकि आज भी वे पुस्तकें बाज़ार में बिक रही हैं और जितनी भी इस तरह की पुस्तकें गृह मंत्री अगर चाहें तो मैं लाकर इस हाउस के अन्दर पेश कर सकता हूं । इस तरह की अश्लील पुस्तकें धड़ल्ले से चलती हैं और इन्हें लड़के व लड़कियां

पड़ती हैं, किराये पर यह पुस्तकें चलती है ।

16.19 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो हमारे देश की क्या दशा होगी ? हम किस प्रकार अभिमान के साथ कह सकेंगे कि हमारा देश चरित्रवान है ? हमारे देश में स्वामी विवेकानन्द हुए, जिन्होंने दुनिया के देशों में जा कर यह प्रचार किया कि हमारा देश अनुशासनबद्ध, चरित्रवान और वीर-वृत्ति के लोगों का देश है । आज हम किस मुंह से वह बात कह सकते हैं ?

इसलिए मैं चहाता हूं कि हमारे देश में तंग लिबास और इस प्रकार के अश्लील समाचारपत्रों, साप्ताहिकों, मैंगजीन, अश्लील गानों और अश्लील फ़िल्मों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य श्री भट्टाचार्य, को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि गृह मंत्री बिना संकोच इस बिल को स्वीकार कर लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जाधव ।

श्रीमती सहोदराबाई राय (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं को भी समय मिलना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में मिलेगा ।

Shri C. K. Bhattacharyya: I would submit that you might give me some more time for this Bill, after the External Affairs Minister finishes his statement, which he will make at 4-30 p.m. After the finishes his statement, you may kindly give some more time to the Bill and to me also some time for reply.

Mr. Deputy-Speaker: We shall see how much time that statement would take.

Shri C. K. Bhattacharyya: It would take only 15 to 20 minutes at the most.

श्री तुलशीदास जाधव (नांदेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भट्टाचार्य, ने हाउस के सामने जो बिल रखा है, मैं उस को सपोर्ट करता हूं । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझ से पहले माननीय सदस्यजने जो कुछ कहा है, वह सही है । कनसल्टेटिव कमेटी में भी कई माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई थी । उस वक्त सब माननीय सदस्यों ने एक-मत से कहा था कि इंडियन आबजर्वर पर कुछ कंट्रोल किया जाना चाहिये । अगर डेमोक्रेसी की दृष्टि से देखा जाये, तो इस हाउस में नुमायंदों की मेजारिटी जो कोई बात कहती है, उस को मान कर कोई रास्ता निकालना चाहिये ।

Shri P. G. Sen (Purnea): I would request that the time for this Bill may be extended by one hour. So many Members are interested in it.

Shri Hem Raj (Kangra): Many hon. Members are interested in this. So, the time may be extended.

Mr. Deputy-Speaker: We shall see.

श्री तुलशीदास जाधव : मैं कह रहा था कि जब हम ने डेमोक्रेसी को अख्त्यार किया है, तो बहुमत से जो बात कही जाती है, गवर्नमेंट को उसे स्वीकार करना चाहिये । यह बात कनसल्टेटिव कमेटी में भी सब मेम्बरों ने कही थी । मैंने यहां भी देखा है कि सब मेम्बर उस बात के अनुकूल हैं ।

यह बात कहने की जरूरत नहीं है कि मुझ से पहले माननीय सदस्य ने जो वर्णन किया है, वह बिलकुल सत्य है । इसलिये इस प्रकार की पुस्तकों और सिनेमा के चित्रों पर कुछ कण्ट्रोल होना चाहिये । यह ठीक है कि चित्रों के सम्बन्ध में एक सेंसर बोर्ड कायम है । मैं समझता हूं कि उस को भी इस तरफ अधिक ध्यान देना चाहिये ।

[श्री तुलशीदास जाधव]

इस प्रकार की पुस्तकों और चित्रों से तरुण लड़के-लड़कियों के दिल पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अपने आप पर कंट्रोल रखने की उन की भावना पर आघात होता है और वे अपने आप पर कंट्रोल रखने में असमर्थ हो जाते हैं। इन चित्रों और पुस्तकों से उन की प्रकृति पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। इस सम्बन्ध में बाहर के देशों के उदाहरण दिये जाते हैं। जहां तक मैंने सुना है, वहां पर लड़के- लड़कियों का आपस में फ्री बर्ताव होने से बहुत बुरा असर पड़ा है।

इस मामले में एक और मुसीबत भी पैदा हुई है। पहले इस प्रकार के पारस्परिक बर्ताव या सम्बन्ध से जो चिह्न नजर आते थे, जिन के कारण समाज में सम्बद्ध व्यक्तियों के प्रति घृणा पैदा होती थी, हर जगह बर्थ-कंट्रोल का साहित्य उपलब्ध होने से वे बाह्य चिह्न कभी नजर नहीं आते हैं। आज कल परिवार नियोजन के जो साधन मिलते हैं, उन के कारण इस प्रकार के पारस्परिक सम्बन्ध के चिह्न बाहर नजर नहीं आते हैं और इस प्रकार समाज की निन्दा का डर बिल्कुल नहीं रह गया है। इसके कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था को बहुत धक्का लगा है। इन्हीं कारणों से अमरीका, जापान या इंग्लैंड में जो स्थिति पैदा हुई है, हम को उस से कुछ सीख लेनी चाहिये।

समाज की रचना बदलती रहती है। पहले मां-बाप अपने घर में बच्चों को शिक्षण दे कर उन को ठीक रास्ते पर ले जाते थे। अब वह बात भी खत्म हो गई है, क्योंकि मां-बाप अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं—अगर वे ग़रीब हैं, तो मिल वगैरह में चले जाते हैं—और इस प्रकार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए न वक्त है, न साहित्य है और न पैसा है। आज इस का परिणाम यह है कि बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है।

16.26 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

इसी तरह पहले जब बच्चे स्कूल में जाते थे, तो उन के टीचर उन को अच्छी शिक्षा देते थे और उन को जीवन के सही मूल्य और आचरण के बारे में बताते थे। पहले शिक्षकों का आदर्श बच्चों के सामने होता था, जिस के अनुसार वे चलने का प्रयत्न करते थे। आज स्थिति यह है कि हाई स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी में कहीं भी आदर्श नजर नहीं आता है। मां-बाप की एजूकेशन चली गई, टीचर्ज की एजूकेशन चली गई।

इस के अलावा पहले मन्दिर या मस्जिद में भी बच्चों को धार्मिक शिक्षा मिलती थी। लेकिन आज-कल मन्दिर में वही जाते हैं, जो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं और कोई भी जवान लड़के-लड़कियां मन्दिर नहीं जाती हैं। इस तरह आज धर्म का भी कोई असर दिलों पर नहीं रहा है।

पहले बच्चों के हाथ में धार्मिक वाङ्मय या लिट्रेट्यर होता था, जिन से उन के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता था, लेकिन आज उन को ऐसा लिट्रेट्यर और पुस्तकें मिलती हैं, जिस से नैटरल इंस्टिक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा उत्तेजन मिलता है।

इस लिए, जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है, पुस्तकों और साहित्य पर कुछ कंट्रोल रखा जाना चाहिये। यह बात सही है कि हर वक्त कानून का कंट्रोल करने से समाज में दुरुस्ती आती है, ऐसी बात नहीं है। कानून के कंट्रोल के साथ साथ लोगों और विशेष कर बच्चों को दूसरे प्रकार से एजूकेशन भी देनी चाहिये।

गवर्नमेंट के द्वारा जो फ़िल्म्ज़ बनाई जाती हैं, उन के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिये। उस की जो वैन्ज़ गांव-गांव घूमती हैं, उन के द्वारा भी शिक्षा दी जानी चाहिये। अगर कोई जवान व्यक्ति कोई बात कहता है, तो उस का बड़ा असर होगा। अगर हम कोई बात कहेंगे, तो कहा जायगा कि इन की ज्यादा उम्र हो गई है, ये सब कुछ कर चुके हैं और अब हम को कहते हैं। मैं कोई वैयक्तिक बात नहीं कह रहा हूं—मैं श्री भट्टाचार्य के बारे में कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई ऐसी बात कहेगा, तो क्या सच नहीं कहेगा ?

श्री तुलशीदास जाधव : आपने जो कहा है, वह सही है—वह बात सही है, उसका यह अर्थ नहीं है।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ कंट्रोल कानून के द्वारा हो और कुछ कंट्रोल एजूकेशन के द्वारा हो। स्वर्गीय श्री जे० के० भोंसले ने, जिन का हार्ट फ़ेल हो गया था, एक राष्ट्रीय अनुशासन योजना चलाई थी। हमने देखा है कि जिस किसी स्कूल में वह योजना लागू की गई थी, वहां पर लड़कों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और उनमें बहुत अनुशासन पैदा हो गया। मैं होम मिनिस्ट्री और एजूकेशन मिनिस्ट्री से विनती करूंगा कि वे बच्चों को छोटी उम्र में ही इस प्रकार की अच्छी एजूकेशन देने का प्रयत्न करें।

मैं एक बात आखिर में कहना चाहता हूं। जो रूस देश है, वह हिन्दुस्तान और दुनिया से भी आगे बढ़ा हुआ है, आज के अखबार में भी निकला है, कि उन्होंने आदमी को स्पेस में भेजा है। उस देश में हम लोग कुछ समय के लिए गये थे और वहां पर हम ने स्कूल और कालेज देखे। हम ने वहां के लोगों को बहुत छेड़ा कि आप स्कूल में और कालेज में लड़के और लड़कियों को एक साथ क्यों नहीं रखते तो उन्होंने कहा कि तेरह वर्ष से तीस वर्ष तक हम इन दोनों को एक जगह में नहीं रखते हैं। हम उन को हाई स्कूल और कालेज में अलग अलग एजुकेशन देते हैं। जो इतना रैडिकल देश है, जो कम्यूनिज्म को मानने वाला है और सब को एक समान समझता है, दुनियां में भी वह बहुत आगे है वह भी इस मामले में यह नीति मानता है और अपने हाई स्कूल और कालेजों में इस नीति को बरतता है, तब इस देश में तो इस बात की बहुत जरूरत है।

इसके बाद मैं एक सजेशन देना चाहता हूं। यदि हमारे यहां मासिक पत्र पत्रिकायें निकालनी हों, कोई अन्य अखबार निकालने हों, तो उन को हमारी स्त्रियां और महिलायें निकालें। इस से उनका असर अच्छा होगा। पुरुष जब उन को निकालते हैं तो उन में अलग तरह की भावना प्रतिष्ठित करते हैं, लेकिन जब हमारी बहनें उन को निकालने लग जायेंगी तो उन का असर दूसरा होगा। उन की लेखनी अच्छी होती है। उदाहरण के लिये मैं बतलाऊं कि महाराष्ट्र में "किर्लोस्कर" है या "स्त्री" मासिक है जिन को महिलायें निकालती हैं। और उन का काफी असर होता है। इसलिये मैं हाउस से बिनती करता हूं कि जो देश की बहनें हैं लिखने वाली वे इन कामों में ज्यादा हिस्सा लें। अगर पुरुष को लिखना हो तो वे शौर्य की या दूसरी तरह की बातें लिखें। लेकिन इस प्रकार की पत्र पत्रिकायें हमारी स्त्रियां निकालें।

16.32 hrs.

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICE—*contd.*

FIRING BY PAKISTANI FORCES

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): From time to time there have been reports of concentration of Pakistani forces within